

# कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

## झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com,

Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक :- 01 / योब०-२२/२०१६- ९०

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची /

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला / जमशेदपुर वन प्रमंडल,  
जमशेदपुर /

वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका / साहेबगंज वन प्रमंडल,  
साहेबगंज / जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा /

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर,  
जमशेदपुर / सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा / सामाजिक वानिकी प्रमंडल,  
चाईबासा।

दिनांक : 19.01.2017

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वनभूमि पर  
वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत  
अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण, भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण एवं शीघ्र बढ़ने वाले पौधों  
का रोपण का अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) के लिए कुल 247.020 लाख (दो करोड़  
सैंतालीस लाख दो हजार रुपये) मात्र का ऑन-लाइन उप आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :-

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04 / योब०-२२/२०१६-५५ / स्वी० व० प०  
दिनांक—17.01.2017 एवं आ०आ०संख्या—०४ / योबजट—२२/२०१६-९२ अ०व०प०  
दिनांक—18.01.2017।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली अधिसूचित वनभूमि पर  
वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण”योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर  
वृक्षारोपण, भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण एवं शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)  
के लिए कुल 247.020 लाख (दो करोड़ सैंतालीस लाख दो हजार रुपये) मात्र राशि का  
ऑन-लाइन उप आवंटन उपर्युक्त वर्णित वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या  
04 / योब०-२२/२०१६-५५ / स्वी० व० प० दिनांक—17.01.2017 एवं आ०आ०संख्या—०४ / योबजट—  
२२/२०१६-९२ अ०व०प० दिनांक—18.01.2017 के अन्तर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित किया जाता है :—

(राशि लाख में)				
क्र0 सं0	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना , उप शीर्ष 58—अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू—संरक्षण	मजदूरी	19P240601796580103	176.370
		आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601796580323	70.650
कुल आवंटित राशि				247.020

अर्थात् कुल 247.020 लाख (दो करोड़ सैंतालीस लाख दो हजार रुपये) मात्र राशि आवंटित की जाती है। ऑन—लाईन उप आवंटन की प्रति संलग्न है।

3. वर्तमान आवंटित कुल 247.020 लाख (दो करोड़ सैंतालीस लाख दो हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू—संरक्षण” योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष 01—वानिकी लघु शीर्ष 796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष 58—अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू—संरक्षण योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध अनुलग्नक—1 से 3 के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

5. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया

जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

8. उप—आवंटित राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रॉची से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जाएगी।

9. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम—174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

11. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजूदरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, कि अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या—940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

15. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या—2371, दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं—2371, दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
17. आवंटित राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
18. रोपित पौधों/वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/सत्यापन असम्बद्ध प्रमंडल से कराई जाएगी।
19. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।
20. तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यों की मात्रा एवं गुणवत्ता के वनपाल, वन क्षेत्र पदाधिकारी, सहायक वन संरक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार के स्तर से वनरोपण योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उसके अनुश्रवण के संबंध में जारी संकल्प संख्या—2539 दिनांक 20.04.2005 एवं संकल्प संख्या—819 दिनांक 10.03.2011 के अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे।
21. कटबैक, कॉपिसिंग कार्यों में प्राप्त जलावन को स्थानीय ग्रामीणों के बीच पारदर्शी तरीके से वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेशों के अनुरूप वितरित करेंगे।
22. प्रवेश बिन्दु कार्यों का प्राक्कलन अलग से समर्पित करेंगे, जिसपर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
23. संबंधित योजना हेतु आवंटन पत्र के शर्तों एवं सरकार के स्तर से स्वीकृत योजना में किसी प्रकार का परिवर्तन कर कार्य कराये जाने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।
24. कार्य की गुणवत्ता एवं वनरोपण की सफलता वन प्रमंडल पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी। अतः यह अवश्य सुनिश्चित की जाय कि उपलब्ध राशि का सदुपयोग हो।
25. योजना का कार्यान्वयन स्थल विशेष प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर इस कार्यालय को एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाएगा। ट्रेंच घेरान का कार्य शीघ्र सम्पन्न करने हेतु मशीन द्वारा किया जाय। उप—आवंटित राशि में प्रवेश बिन्दु कार्य की 15 प्रतिशत राशि सन्निहित है, जिसके अनुसार प्राक्कलन तैयार किया जाएगा।
26. अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपने स्तर से सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल एवं वनरक्षी को उपलब्ध करायेंगे।

27. प्रवेश विन्दु कार्य के अन्तर्गत ग्राम वन प्रबंधन में राशि की उपलब्धता के आधार पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव के अनुसार सामूहिक व्यवहार हेतु ग्राम वन प्रबंधन भवन, सौर्य ऊर्जा से गाँव का प्रकाशीकरण, ग्रामीण पेयजल सुविधा, सार्वजनिक सिंचाई सुविधा आदि प्राथमिकता से क्रियान्वयन किया जाएगा।

28. वनरोपण स्थल पर साईनबोर्ड लगायी जायेगी जिसपर आवश्यक सूचना के साथ मजदूरी का दर भी अंकित की जाय एवं न्यूनतम मजदूरी दर पर भुगतान सुनिश्चित करायी जाय।

29. इस योजना के अन्तर्गत किये गये, प्रमङ्गलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न-1 से 3 पर तथा ऑन-लाईन उप आवंटन अनुलग्नक-4 पर संलग्न हैं।

अनुलग्नक :— यथोक्त /

विश्वकर्मा बाजान,  
*Chinnamam*  
19/1/2017

अपर प्रधान मुख्य चन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :—01 / यो0ब0—22 / 2016— 90

, राँची, दिनांक :— 19.01.2017

प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राँची रीजन/जमशेदपुर रीजन/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/ प्रादेशिक अंचल, दुमका/ प्रादेशिक अंचल, देवघर/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

*Chinnamam*  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :—01 / यो0ब0—22 / 2016— 90

, राँची, दिनांक :— 19.01.2017

प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, सरायकेला/कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर/ कोषागार पदाधिकारी, दुमका/ कोषागार पदाधिकारी, साहेबगंज/ कोषागार पदाधिकारी, जामताड़ा/ कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा/ कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Chinnamam*  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (जनजातीय क्षेत्र सुपयोजना) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	स्थल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	वित्तीय वर्ष 2016-17 (अग्रिम कार्य)		
				v	vi	vii
i	ii	iii	iv			
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	सरसा	30.00	12.005	5.145	17.150
2	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	छाता	40.00	19.565	8.385	27.950
3	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर (जमशेदपुर)	नुतनगढ़	30.00	12.005	5.145	17.150
4	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	हेथजोरी	40.00	19.565	8.385	27.950
5	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	रगरगी सह पहाड़पुर	40.00	19.565	8.385	27.950
योग :-			180.00	82.705	35.445	118.150

*(Signature)*  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।  
*(Signature)*

**वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण” योजना  
(जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का  
प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य**

राशि (रु0 लाख में)


क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	स्थल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	वित्तीय वर्ष 2016-17 (अग्रिम कार्य)		
				v	vi	vii
i	ii	iii	iv			
1	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	आंसरी	6.00	0.890	0.524	1.414
		साहेबगंज / ईटाकुदर	1.00	0.614	0.340	0.954
		कान्डा बजार	0.18	0.566	0.308	0.874
		दिंदली	18.00	1.560	0.969	2.529
		हेसाकोचा	30.00	22.203	6.470	28.673
2	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	मुक्तापुर	30.00	18.908	6.302	25.210
3	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	धरमपुर	30.00	18.907	6.303	25.210
योग :-			115.18	63.648	21.216	84.864

*H. Manikam*  
19/11/2017  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
*Bijay Kumar*, झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख मे)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	स्थल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	वित्तीय वर्ष 2016-17 (अग्रिम कार्य)		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	मालीटोक	30.00	14.863	6.857	21.720
2	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	नुतनडीह	30.00	15.154	7.132	22.286
योग :-			60.00	30.017	13.989	44.006



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास



झारखण्ड, राँची।



राजस्थान सरकार

## आवंटन आदेश

## झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/yb-22/2016/90

दिनांक -

19-Jan-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नंबर	लिकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601796580103	85763	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	1,200,500.00 रुपये बारह लाख पाँच सौ
2	P 19 240601796580103	85766	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	2,583,300.00 रुपये पच्चीस लाख तिरयारी हजार तीन सौ
3	P 19 240601796580103	85768	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	1,890,800.00 रुपये अठारह लाख नब्बे हजार आठ सौ

5,674,600.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये छप्पन लाख चौहत्तर हजार छ: सौ

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नंबर	निकासी एवं व्यवन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	85770	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	1,890,700.00 रुपये अठारह लाख नव्वे हजार सात से
5	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	85772	SBJFOR001 MANISH KUMAR TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	1,486,300.00 रुपये चौदह लाख छियासी हजार तीन से
6	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	85773	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	1,515,400.00 रुपये पंद्रह लाख पंद्रह हजार चार से
7	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	85777	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	1,956,500.00 रुपये उन्नीस लाख छप्पन हजार पाँच से
<hr/>				
योग:				6,848,900.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख तेहस हजार पाँच सौ	(Signature) (SHRI.Y.K.SINGH CHAHAN IFS) ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND		12,523,500.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	85782	JSRFOR116 SHIV KR PRASAD D.F.O.ADITYAPUR S.F.DIV.JSR.	1,200,500.00 रुपये बारह लाख पौंच सौ
9	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	85784	SDGAI002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	1,956,500.00 रुपये उन्नीस लाख छप्पन हजार पौंच सौ
10	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	85802	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	1,956,500.00 रुपये उन्नीस लाख छप्पन हजार पौंच सौ
11	P 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	85807	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	514,500.00 रुपये पौंच लाख चौदह हजार पौंच सौ
रुपये एक करोड़ इक्काहासी लाख इकावन हजार पौंच सौ				
योग:				5,628,000.00
क्रमिक योग:				18,151,500.00
			(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS) ADDI.PCCF,DEV.JHARKHAND	
Page 3 of 6	122,252,450.00	RANCHI	Run Date: 19/1/2017	

*Y.K.Singh Chauhan*  
(9/1/2012)

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF,DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	85808	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	861,100.00 रुपये आठ लाख इक्सठ हजार एक सौ
13	P 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	85810	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHPUR PRM.JSR.	630,200.00 रुपये छ: लाख तीस हजार दो सौ
14	P 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	85812	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	630,300.00 रुपये छ: लाख तीस हजार तीन सौ
15	P 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	85813	SBJFOR001 MANISH KUMAR TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	685,700.00 रुपये छ: लाख पिचयासी हजार सात सौ
<hr/>				
योग:				2,807,300.00
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड़ नौ लाख अठावन हजार आठ सौ			20,958,800.00

(SHRI Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	P 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	85814	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	713,200.00 रुपये सात लाख तेरह हजार दो से
17	P 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	85815	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	838,500.00 रुपये आठ लाख अड़तीस हजार पौंच से
18	P 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	85816	JSRFOR116 SHIV KR PRASAD D.F.O.ADITYAPUR S.F.DIV.JSR.	514,500.00 रुपये पौंच लाख चौदह हजार पौंच से
19	P 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	85818	SDGAI002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	838,500.00 रुपये आठ लाख अड़तीस हजार पौंच से

योग:

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड़ अड़तीस लाख तीरसठ हजार पौंच सौ

2,904,700.00

23,863,500.00



(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
20	P 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	85821	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	838,500.00 रुपये आठ लाख अड़तीस हजार पौंच से

योग:

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड़ सैतालीस लाख दो हजार

838,500.00

24,702,000.00



(SHRI.Y.K.SINGH GURUHANI IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

